न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

29.09.2022

अभियुक्तगण संजीव कुमार उर्फ बब्लू की ओर से मु0सं0 341/2021 अन्तर्गत धारा–498,323,504,506 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना–डिलारी मुरादाबाद के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थीगण निर्दोष है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर छोड़ा जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अपराध की प्रकृति गंभीर व गैर जमानतीय है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी तथा मांग पूरी ने होने पर उसको शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, मारपीट करने, गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का अपराध किया है। अभियुक्तगण द्वारा आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। माामला पारिवारिक एवं वैवाहिक है। अभियुक्तगण वादिनी के सास व ससुर हैं। उक्त मामले में भविष्य में सुलह की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए गुण–दोष पर टिप्पणी किए वगैर कोई भी ऐसा पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होता, जिस आधार पर अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया जाए। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण संजीव कुमार उर्फ बब्लू प्रत्येक द्वारा 30,000/– रूपये का बंध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत प्रदान की जाती है।

दिनांक 29.09.2022

(दुष्यंत कुमार शर्मा)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।
जे0